मुन्तकिली प्रकरण सं0 24/2015 अनवानी लालूराम पुत्र भीखाराम जाति नायक निवासी 67 एनपी तहसील रायसिंहनगर बनाम 1–लाली पत्नि गोविंदराम 2–अर्जनराम 3–दीनदयाल 4–मनोहरलाल 5–पप्पुराम 6–बीरूराम 7–हंसराज पि0 गोविंदराम जाति नायक निवासी 67 एनपी 8–पारादेवी 9–गोरादेवी 10–ओमप्रकाश 11–हीरादेवी 12–सुनीता 13–भानीराम 14–गोरादेवी पत्नि लूणाराम 15–पेमीबाई 16–गंगाबाई 17–मेहतीबाई 18–तहसीलदार रायसिंहनगर 19–ओबीसी बैंक 20–किशनाराम 21–मूलाराम 22–रामलाल 23–तेजाराम 24–चुनीलाल 25–एसडीओ रायसिंहनगर

12.12.2015

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक श्री जगमोहन आहूजा उपस्थित है। अप्रार्थीगण गंगाबाई, हीराबाई, ओमप्रकाश, मेती बाई, पारूबाई, दीनदयाल, हंसराज, सुनिता, पप्पुराम, वीरूराम, लालीदेवी, प्रेमबाई, मनोहरलाल, गोराबाई, भानीराम, अर्जनराम, गोरादेवी के अभिभाषक श्री ओ.पी.बतरा उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के न्यायालय में एक दावा संख्या 116/2003 अनवानी गोविंदराम(मृत्तक) वारिसान लाली आदि बनाम भीखाराम(मृत्तक) वारिसान लालू आदि रिमाण्ड होकर लंबित है। उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 22.04.2015 धारा 144 सपठित धारा 151 सीपीसी का फैसला करते हुए उनका प्रा0 पत्र गलत तरीके से खारिज किया है। उपखण्ड अधिकारी केन्द्रीय राज्य मन्त्री के प्रभाव में है तथा अप्रार्थीयान गोविंदराम के वारिसान ने ऐलानिया कहना शुरू कर दिया था कि हमने मन्त्री जी से अप्रोच करवा दी है इसलिए प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नही है। इसलिए प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए मुन्तकिल किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीयान की ओर से श्री ओ.पी.बतरा अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार है और अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण रिमाण्ड होकर आने पर ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से धारा 144 सीपीसी सपठित धारा 151 को स्वीकार किया गया है। प्रार्थी द्वारा लगाया गया राजनैतिक प्रभाव का आरोप निराधार है और साधारण प्रकृति का है जो मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाता है। प्रार्थी द्वारा केवल प्रकरण को लम्बा करने के नियत से ही यह प्रा0 पत्र पेश किया है। इसलिए यह प्रा0 पत्र खारिज किया जावे।

मैने उभय पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर की टिप्पणी दिनांक 04.05.2015 का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप झूठे व मनगढंत बताते हुए माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा पारित निर्णय 06.01.2011 की पालना में प्रा0 पत्र धारा 144 सीपीसी का विधिवत निस्तारण करना बताया है। उन्होने टिप्पणी में यह भी कहा कि अगर प्रकरण मुन्तकिल किया जाता है तो उनको कोई आपति नही है। प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के न्यायालय में लंबित दावा संख्या 116/2003 अनवानी गोविन्दराम मृत्तक वारिसान लाली आदि बनाम भीखाराम मृत्तक वारिसान लालूराम आदि में पीठासीन अधिकारी पर

कलेक्टर
श्रीगंगानगर

राजनैतिक दबाब का आरोप लगाकर अन्यत्र न्यायालय में प्रकरण मुन्तकिल करवाने की प्रार्थना की है। यह आरोप साधारण प्रकृति का है। ऐसा आरोप कभी भी किसी के द्वारा किसी पर लगाया जा सकता है जो मुकदमा मुन्तकिली का ठोस आधार नही बनाता है। इसलिए प्रार्थी का प्रा0 पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.12.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर